

# कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर

क्रमांक :- मुख्य/संस्थापन/2023/2261


दिनांक :- 12/08/2023

-: विज्ञप्ति :-

श्रीमान निदेशक(अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक अराज/यूटीवी/2023/392 दिनांक 04.08.2023 के पालनार्थ आमजन को समुचित सहज एवं सुलभ चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत जिले में उपलब्ध पैरामेडिकल एवं फार्मासिस्ट के स्पष्ट रिक्त पदों की सीमा तक आवश्यकता के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा रिक्त पदों पर नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक, जो पहले हो एक निर्धारित स्वीकृत दर पर राजस्थान सेवा नियम 1963, राजस्थान अधीनस्थ चिकित्सा सेवा नियम 1965 एवं राजस्थान सेवा नियमों के प्राधानुसार आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीवी) पर जिला स्वास्थ्य कमेटी के माध्यम से विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.10.2014 एवं 09.11.2017 एवं (यूटीवी) के सम्बन्ध में वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसरण में आदेशों में वर्णित शर्तों के अधीन निम्नानुसार पदों पर चयन किया जाना है।

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	योग्यता
1.	फार्मासिस्ट	24	न्यूनतम योग्यता- डिप्लोमा/बी फार्मसी राजस्थान फार्मसी काउन्सिल से पंजीकृत होना आवश्यक है।
2.	लैब टेक्नीशियन	25	न्यूनतम योग्यता- डीएमएलटी डिप्लोमा एवं आरपीएमसी काउन्सिल से पंजीकृत होना आवश्यक है।
3.	सहायक रेडियोग्राफर	15	न्यूनतम योग्यता-बीआरटी/डीआरटी एवं आरपीएमसी से पंजीकृत होना आवश्यक है।

नोट:- 1. अलवर जिले के मूल निवासी एवं कोविड-19 में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा नियमानुसार आरक्षण देय होगा। 2. इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 14.08.2023 से <https://forms.gle/YMmeDUAZWtXf2ACr9> पर दिये गये गुगल लिंक के माध्यम से दिनांक 18.08.2023 को सायं 6.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं, गुगल फार्म भरने के बाद आवेदन फार्म एवं दस्तावेज की प्रतिलिपी कार्यालय में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु दस्तावेज गुगल फार्म के साथ ही अटैच करें। 3. आवेदन करते समय किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। 4. उक्त पदों में वृद्धि/कमी चयन समिति द्वारा की जा सकती है। चयन के सम्बन्ध में चयन समिति का निर्णय मान्य होगा। 5. अभ्यर्थियों की वरियता/चयन सूची [alwar.rajasthan.gov.in](http://alwar.rajasthan.gov.in) पर प्रकाशित की जावेगी।

  
(डॉ० श्रीराम शर्मा)  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
अलवर